



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18062025-263949
CG-DL-E-18062025-263949

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 346]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 18, 2025/ज्येष्ठ 28, 1947

No. 346]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 18, 2025/JYAISTHA 28, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 18 जून, 2025

सा.का.नि. 389(अ).— सा.का.नि. 256(अ) दिनांक 24 अप्रैल 2025 के माध्यम से दिनांक 24 अप्रैल 2025 को, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना में,-

- (i) अध्याय 14 में, नियम 115 के उपनियम (1) में, "पूर्वगामी अध्याय 1 से अध्याय 14 में किसी बात के होते हुए भी, अन्यथा उपबंधित के सिवाय जब तक राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अन्यथा उपबंधित न किया जाए" को "पूर्वगामी अध्याय 1 से अध्याय 14 में किसी बात के होते हुए भी, अन्यथा उपबंधित के सिवाय जब तक राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अन्यथा उपबंधित न किया जाए, इस नियम के उपबंध लागू होंगे" के रूप में पढ़ा जाए।
- (ii) अधिसूचना के अंतवर्ती आवेदनों के लिए फीस की अनुसूची में, नियम "118(2)" को "119(2)" पढ़ा जाए।
- (iii) प्ररूप जीएसटीएटी प्ररूप-05 में, शीर्षक के नीचे, शब्द "[नियम 6 और 81 देखें]" को "[नियम 81 देखें]" के रूप में पढ़ा जाए।

- (iv) नियम 103(5) में , वाक्य “प्रत्येक आदेश या निर्णय या नोटिस पर अपील न्यायाधिकरण की मुहर लगी होगी” को “प्रत्येक आदेश या निर्णय या नोटिस पर अपील न्यायाधिकरण की मुहर लगी होगी, सिवाय इसके कि आदेश ऑनलाइन पारित किया गया हो और डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित हो” के रूप में पढ़ा जाए।

[फा. सं. ए-50050/264/2024-जीएसटीएटी-डीओआर]

एस. एस. शार्दूल, रजिस्ट्रार जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 18th June, 2025

G.S.R. 389(E).— In the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) published in the Gazette of India, Extra Ordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) vide G.S.R.256(E) dated 24th April 2025,-

- (i) In Chapter XIV , in rule 115, in sub rule 1, the words “ *Notwithstanding anything contained in the foregoing Chapters I to XIV, except as may be otherwise provided by order by the President, ”* may be read as “*Notwithstanding anything contained in the foregoing chapter I to Chapter XIV, except as may be otherwise provided by order by the President, the provisions of this rule shall apply.*”
- (ii) In schedule of fees for Interlocutory applications of notification, Rule “118(2)” may be read as “119(2)”.
- (iii) In form GSTAT FORM-05, below the heading, the words “[See rule 6 and 81]” may be read as “[See rule 81]”.
- (iv) In rule 2(b) the expression “section sub-section” may be read as “sub-section”.
- (v) In rule 103(5), the sentence “Every order or judgement or notice shall bear the seal of the Appellate Tribunal” may be read as “Every order or judgement or notice shall bear the seal of the Appellate Tribunal, except if the order is passed online and digitally signed”.

[F. No. A-50050/264/2024-GSTAT-DOR]

S. S. SHARDOOL, Registrar GST Appellate Tribunal

